तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख हुक्म में जारी
9-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उप० ~~[illegible]~~ जवाब प्रा०पत्र ~~[illegible]~~ अ०सं० 3 व 4 का पेश, एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलाकर शा०का० किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र धारा 212 R.T. Act हेतु दि. 10/2/25 को पेश हो। [signature] 09/12/24	
10-02-25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। बहस अप्रपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा 212 R.T. Act दि. 03/03/25 को पेश हो। [signature] 10/2/25	
03/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रा०पत्र u/s 212 RT r.w. O39 R1&2 CPC के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 212 RT r.w. O39 R1&2 CPC के प्रा०पत्र को adjudicate करने के लिये इसी [illegible] जाँचना आवश्यक है। (अ) प्रकरण [illegible] प्रार्थीगण द्वारा बहस के [illegible] ग्राम पिडावा की विवादित आराजी [illegible] रकबा 1.8590 hec, [illegible] 1286 रकबा 0.0253 hec, ख०नं० 1287 रकबा 0.9232 hec.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

र व तारीख ...काम जो इस ...की तालीम जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

ख0नं0 1288 रकबा 0.1632 hec व ख0नं0 1289 रकबा 0.5564 hec किता 5 रकबा 3.4231 hec प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 1 व 2 की पैतृक आराजी है जो मूलतः गोविन्दलाल व नाथूलाल की खातेदारी में दर्ज थी। नाथूलाल, निःसंतान फौत हुए थे तो अपने भाई गोविन्दलाल के तीन बेटों में से मदनलाल को गोद लिया था। नाथूलाल फौत होने के बाद मदनलाल व गोविन्दलाल ने आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा 1971 में किया था जिसमें ख0नं0 1018 रकबा 7-07 बीघा गोविन्दलाल को मिला और शेष किता 4 रकबा 6-04 बीघा भूमि मदनलाल के हिस्से आई थी। इसी पारिवारिक बंटवारे दिनांक 31/10/1971 के अनुसार दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। गोविन्दलाल के शेष दो पुत्रों - बालमुकुंद व गोपालकृष्ण - है प्रार्थीगण एवं गोद गये पुत्र मदनलाल के अप्रार्थी क्रम 1 व 2 वारिसान है।

आर्थी0 प्रार्थीगण ने आगे तर्क किया कि दिनांक 01/04/2016 को 50 रूपये के stamp paper पर मृतक मदनलाल के वारिसान - श्री भूपेन्द्रकुमार पुत्र, दुर्गा देवी बेवा व मृतक पुत्र निरंजनकुमार के वारिसान तथा बालमुकुंद एवं गोपालकृष्ण के दरमियान के मध्य पुनः समझौता हुआ था जिसमें सन् 1971 के पारिवारिक बंटवारे पर सहमति व्यक्त करते हुए ख0नं0 1018 पर प्रार्थीगण का हक व अधिकार स्वीकार किया गया था। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है।

आर्थी0 अप्रार्थीगण 3 व 4 ने बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 3 व 4 वादग्रस्त आराजी में जरिये रजि0 विक्रय पत्र से वर्ष 20[illegible] [illegible] का क्रय कर रिकार्डेड सहखातेदार [illegible] भूमि है जिसका [illegible] [illegible] के [illegible] पिता एवं अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पूर्वजों [illegible] मध्य हुए पारिवारिक बंटवारा दिनांक 31/10/1971 व 01/04/2016 से अप्रार्थी 3 व 4 का कोई सरोकार नहीं है। कानूनी रूप से उक्त समझौता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	time limit से barred होने से कोई महत्व नहीं रखता है। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 रिकार्ड्स सहखातेदार होने से सम्पूर्ण शामलाती भूमि का आपसी मे से कटौती व भूमि मे से कटौती के आधार पर खाता विभाजन करने के पात्र है। अतः अप्रार्थी क्रम 3 व 4 उपखण्ड निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किये जाते।
	पक्षकारान के परिवेश्य पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतो का भी अवलोकन किया गया। ग्राम पिडावा की विवादग्रस्त आराजी खाता सं० 306 किता 5 रकबा 3.4271 hec की जमाबंदी संवत 2074-77 के अनुसार विवादग्रस्त आराजी वर्तमान मे प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण एवं 04 अन्य की सहखातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा क्रमशः 5/29, 1/20 व 1/29 है। यहां मूल प्रश्न विवादग्रस्त आराजी के family settlement से बंटवारे और तदानुरूप मौके पर काबिज काश्तकार होने का है? प्रार्थीगण द्वारा पेश पारिवारिक समझौता दिनांक 31/10/1971 की photocopy (अप्रमाणित) के अवलोकन से प्रतीत होता है कि गोविन्दलाल पुत्र कन्हैया ब्राह्मण एवं मदनलाल गुतबन्ना नाथूलाल जी के मध्य गोपालकृष्ण व बालमुकुंद की उपस्थिति मे समझौता होकर खसरा नं० 1018 रकबा 7-07 बीघा गोविन्दलाल जी के हक मे प्राप्त होना एवं शेष ख० नं० 1286 रकबा 02 बिस्वा, ख०नं० 1287 रकबा 3-13 बीघा, ख०नं० 1288 रकबा 05 बिस्वा, व ख०नं० 1289 रकबा 2-04 बीघा कुल 6 बीघा 08 बिस्वा मदनलाल जी को प्राप्त होना जाहिर है। इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा पेश 50 पैसे के stamp paper पर लिखे अपंजीकृत वसीयत दिनांक 15/7/1980 की photocopy के अवलोकन से भी जाहिर होता है कि [illegible] की आराजी नं० 108 रकबा 07-0[illegible] गोविन्दलाल जी द्वारा अपने [illegible] बालमुकुंद के पक्ष मे किया जाना अंकित है। अतः [illegible] नं० 1018 पर कब्जा 1980 से या पूर्व से गोविन्दलाल का और तदुपरांत गोपालकृष्ण व बालमुकुंद का होना जाहिर होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

इसी प्रकार 50 रूपये के stamp paper पर लिखे शपथ पत्र (वर्ष 2016), जो कि भूपेन्द्र कुमार व्यास, आलोक कुमार व्यास व दुर्गादेवी द्वारा oath किया है, में ख०नं० 1018 रकबा 7-01 बीघा को बालमुकुंद व्यास व हर्षवर्धन व्यास द्वारा उपयोग-उपभोग करना जबकि ख०नं० 1286, 1287, 1288 व 1289 को दुर्गादेवी, भूपेन्द्र कुमार व्यास व आलोक व्यास द्वारा उपयोग-उपभोग करना अंकित है। उक्त शपथ पत्र की प्रमाणिकता पर कोई टिप्पणी यहां करना उचित नहीं है। यह मूलवाद में तनकी कायम कर साक्ष्य लिया जाकर adjudicate किया जायेगा।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही कुटुंब के सदस्य हैं और वादग्रस्त शामलाती आराजी पर विगत लम्बे समय से family settlement द्वारा बंटवारा कर मौके पर अपने-अपने हिस्से वाली भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। धारा 212 RT Act r.w. O39 R1&2 CPC के प्रा०पत्र के निस्तारण में 'कब्जा' (possession) मुख्य आधार होता है। प्रकरण में प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि का एक सह खातेदार सदस्य प्रेमबाई पुत्री मदनलाल द्वारा अपने हिस्से का अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को बेचान दिनांक 19/08/2020 किया जा चुका है जिससे प्रकरण में वाद-बहुलता (multiplicity of suit) भी बढ़ेगी। अतः जहां शामलाती भूमि को किसी भी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान/हानि पहुंचाने या अंतरित (transfer) करने का खतरा या भय हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय विवादित संपत्ति के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिये निवारक अनुतोष (preventive relief) के रूप में अस्थाई रूप से निषेधाज्ञा जारी कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार [illegible] हुक्म [illegible] में [illegible]

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर वादग्रस्त भूमि ख0न0 1018 रकबा 7-07 बीघा पर लम्बे समय से कब्जा पहले गोपाल कृष्ण व बालमुकुंद का और वर्तमान मे प्रार्थीगण का (काश्तकार) होना जाहिर होता है। यह भूमि family settlement से कब्जेकाश्त मे 1971 से होना प्रतीत होता है। इस लम्बी समयावधि मे प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के खर्चे से उक्त भूमि को भू-सुधार (improvements) उपजाऊ भी बनाया है। अतः मूलवाद मे स्वत्व विवाद का निर्धारण होने तक यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के वर्षों पुरानी कब्जेकाश्त की भूमि का, भले ही शामलाती है, बैचान, दान आदि अंतरण करते है या खुर्द-बुर्द कर alienated करते है तो प्रार्थीगण को तुलनात्मक अधिक असुविधा होगी अर्थात यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर प्रार्थीगण को अधिक सुविधा होगी।

(स) अपूरणीय क्षति → प्रकरण मे family settlement के वचनो के विरूद्ध, अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के लम्बे व पुराने कब्जेकाश्त वाले ख0 न0 1018 की भूमि का अन्तरण करने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकेगी।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र u/s 212 RT r.w. O. 39 R 1 & 2 C स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 से 5 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद [illegible] जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख0 न0 1018 [illegible] बिकाई व मौके स्थिति को बनाये [illegible]। पक्षकार [illegible] मे उपस्थित होकर नाबर(?) से कम [illegible] साथ सम्मन हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:18 IST
Reason: SelfAttested

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner